

दिनांक 14.09.2012 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में वाएफ जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

1. उपायुक्त-सह- अध्यक्ष, चतरा।
2. जिला पशुपालन पदाधिकारी, चतरा।
3. जिला कृषि पदाधिकारी, चतरा।
4. जिला गव्य विकास पदाधिकारी, चतरा।
5. जोनल पदाधिकारी, वाएफ, हजारीबाग।
6. वाएफ जिला प्रभारी, चतरा।
7. श्री सीता राम दांगी, प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक, जांगी।
8. श्री आनन्द माथुर, प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक, चतरा।

सर्व प्रथम श्री अलखदेव प्रसाद, जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

एजेन्डा सं०-01

विगत बैठक दिनांक 23.5.2012 की कार्यवाही को जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा अनुपालन के संबंध में एजेन्डावार बतलाया गया। उपायुक्त महोदय द्वारा जिले के दुग्ध उत्पादकों का दुग्ध संग्रहण तथा विपणन हेतु बल्क कुलर स्थापना, दुग्ध उत्पादकों का समिति गठन तथा दुग्ध उत्पादकों के प्रतिनिधियों द्वारा बल्क कुलर का संचालन किये जाने का निर्देश दिया गया। जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि हजारीबाग जिला दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ लि० (दुग्ध आपूर्ति योजना हजारीबाग) से विगत सात-आठ वर्ष पूर्व पुराना बल्क कुलर संयंत्र चतरा जिला प्रशासन द्वारा जिले में स्थापना हेतु मंगाया गया था, जो कतिपय कारणों से स्थापित नहीं हो पाया। वर्तमान में बल्क कुलर से संबंधित मंगाये गये संयंत्र जल छाजन भवन, चतरा में रखा हुआ है जिसे आवश्यक मरम्मत पश्चात स्थापित किया जा सकता है। विद्युत का वैकल्पिक व्यवस्था हेतु बल्क कुलर संचालन में 15 K.V.A. जेनरेटर



की आवश्यकता होगी। उपायुक्त महोदय द्वारा बल्क कुलर का स्थापना पुराना कोर्ट के खाली भवन में करने का सुझाव दिया गया। 15 K.V.A. विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु जेरेड़ा, रांची से प्राक्कलन प्राप्त करने का निदेश जिला गब्य विकास पदाधिकारी को दिया गया। गांव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति तथा जिला स्तर पर संचालन समिति का गठन करने के संबंध में प्रगतिशील दुग्ध उत्पादकों से जानकारी लिया गया। श्री आनन्द माथुर द्वारा बतलाया गया कि पन्द्रह दिनों में दुग्ध की उपलब्धता वाले गाँवों में दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन कर लिया जायेगा। उपायुक्त महोदय द्वारा श्री माथुर को निदेश दिया गया कि समितियों का गठन कर प्रस्ताव जिला गब्य विकास पदाधिकारी को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा 30 (तीस) इच्छुक दुग्ध उत्पादकों को आनन्द, गुजरात में परिदर्शन तथा प्रशिक्षण का कार्य आत्मा द्वारा दिलाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसका सहमति उपायुक्त महोदय द्वारा दिया गया। साथ ही साथ विगत बैठक की कार्यवाही का सम्पुष्टी किया गया।

एजेन्डा सं० -02-

जिला गब्य विकास पदाधिकारी द्वारा बाएफ डेयरी पशु विकास केन्द्रों के माध्यम से चलाए जा रहे गब्य विकास सम्बंधी कार्यक्रमों के बारे में बतलाया गया। तत्पश्चात उपायुक्त महोदय द्वारा केन्द्रवार कृतिम गर्भाधान, गर्भधारण जाँच, गर्भधारण, उत्पन्न संतति, अनुदानित दर पर संतुलित पशु आहार बिक्री, खरीफ हरा चारा बीज प्राप्ति एवं वितरण, बछिया पालन-पोषण योजना, अजोला हराचारा प्रत्यक्ष, पशु दुग्ध उत्पादकता वृद्धि शिविर का समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में कुछ केन्द्रों का प्रगति शून्य पाया गया जिसके संबंध में वाएफ जिला प्रभारी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। वाएफ जिला प्रभारी द्वारा बतलाया गया कि अभी जिले के कुल चार केन्द्रों पर केन्द्र प्रभारी का पद रिक्त है। रिक्त केन्द्रों का प्रभार बगल के वाएफ केन्द्र प्रभारी को प्रभार दिलाकर कार्य किया जा रहा है। किये गये कार्यों का अभिलेख केन्द्र प्रभारी द्वारा अपने मूल पदस्थापन केन्द्र पर संधारित किया जाता है। जिला कृषि



पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि रिक्त केन्द्रों पर प्रभार वाले केन्द्र प्रभारी कम से कम दों दिन केन्द्र पर उपस्थित रहे तथा क्षेत्र के पशुपालकों के समस्याओं का निदान करते हुए केन्द्र के क्षेत्रों में किये गये कार्यों का अभिलेख संबंधित केन्द्रों पर किया जाय। उपायुक्त महोदय द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के प्रस्ताव को सहमति प्रदान करते हुए रिक्त केन्द्रों के केन्द्र प्रभारियों का पदस्थापना शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त महोदय द्वारा हराचारा, बीज वितरण तथा अजोला प्रत्यक्षण कार्यक्रम के बारे में किसान प्रतिनिधियों से जानकारी लिया गया। किसान प्रतिनिधियों द्वारा बतलाया गया कि हरा चारा बीज किसानों के बीच वितरण हुआ है। उत्पादित हरा चारा किसान अपने पशुओं को खिला रहे हैं। अजोला प्रत्यक्षण भी किसानों के बीच किया गया जिसका फलाफल बहुत अच्छा है दुधारू पशु को खिलाया जा रहा है। कुछ किसान अपने स्तर से अजोला का वेड तैयार कर उत्पादन प्रारंभ किये हैं। श्री आनन्द माथुर द्वारा अनुदानित दर पर सन्तुलित पशु आहार कौमरशियल डेयरी के लाभुकों को भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा पशु आहार की उपलब्धता केन्द्रों पर नियमित रखने का सुझाव दिया गया। वाएफ जिला प्रभारी द्वारा बतलाया गया कि कौमरशियल डेयरी के लाभुकों को अनुदानित दर पर सन्तुलित पशु आहार उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त नहीं है। सन्तुलित पशुआहार का मुल्य काफी बढ़ जाने के कारण डेढ़ माह से मुख्यालय से आपूर्ति नहीं हुआ है। मुख्यालय से दर का निर्धारण प्राप्त हो गया है। वयस्क सन्तुलित पशु आहार का दर 13/- (तेरह) रुपये प्रति किलों ग्राम तथा बछिया सन्तुलित पशु आहार 11/- (ग्यारह) रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। बछिया का पशुआहार चतरा आ गया है, जिसे सभी केन्द्रों पर भेजा जा रहा है। वाएफ पशु आहार एक दो दिनों में चतरा आने की सम्भावना है। पशु आहार प्राप्त होते ही सभी केन्द्रों पर भेज दिया जायेगा। वाएफ जिला प्रभारी द्वारा बतलाया गया कि वाएफ केन्द्रों के माध्यम से माह अगस्त 2012 में कुल 1818 ली0 कैलीयम का वितरण बछिया तथा गाय के लाभुकों के बीच वितरण किया गया है। माह सितम्बर 2012 से पशु उत्पादकता वृद्धि शिविर का आयोजन प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 12.09.



2012 को जबड़ा केन्द्र के टुडांग तथा लावालौंग केन्द्र के हेरूम गाँव में किया गया है। वर्तमान माह में कुल बारह पशु उत्पादकता वृद्धि शिविर आयोजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उपायुक्त महोदय द्वारा कार्यक्रमों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

एजेण्डा सं०-03-


केन्द्र प्रायोजित ग्रास लैण्ड विकास कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में वाएफ जिला प्रभारी द्वारा बतलाया गया कि 25 एकड़ में ग्रास लैण्ड विकास संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्रामीणों का बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में ग्रास लैण्ड का प्रभार प्रबंधन समिति को सौंप दिया गया है। पंचायत मुखिया के निगरानी में ग्रास लैण्ड वर्तमान में संचालित है। प्रबंधन समिति को कुल रुपये 61,177.50 (एकसठ हजार एक सौ सतहत्तर रुपये पचास पैसा) मात्र तथा 146 कि०ग्रा० दीनानाथ का बीज प्रभार में दिया गया है। उपायुक्त महोदय द्वारा वाएफ जिला प्रभारी को ग्रास लैण्ड का विकास हेतु नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन प्रबंधन समिति को करने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ ग्रास लैण्ड में ट्रेन्च का मरम्मत इत्यादि का कार्यकराने की आवश्यकता होने पर पंचायत समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर मनरेगा से कार्य कराने का सहमति दिया गया।


एजेण्डा सं०-04-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 10 (दस) नये वाएफ डेयरी पशु विकास केन्द्रों के स्थानों का प्रस्ताव वाएफ जिला प्रभारी द्वारा दिया गया। बतलाया गया कि दो केन्द्र गोलकाबर तथा नगमा (माधोपुर) में स्थापित किया जा चुका है। शेष अन्य (1) पथरा, (2) कोबना, (3) डाढा/पकरीया, (4) द्वारी, (5) कुन्दा, (6) बहेरा, (7) नावाडीह (प्रतापपुर) तथा (8) नावाडीह (पत्थलगड़ा) स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। विचार-विमर्श पश्चात उपायुक्त महोदय द्वारा वर्णित सभी कुल दस केन्द्रों के स्थानों पर केन्द्र स्थापित करने का सम्पुष्टी किया गया तथा निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर पहले स्थापित केन्द्रों पर केन्द्र प्रभारियों का पदस्थापन यथाशीघ्र किया जाय।



अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।


जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
चतरा।



उपायुक्त सह अध्यक्ष
चतरा।


ज्ञापांक 450/ चतरा , दिनांक 17/09/2012

प्रतिलिपि- उपायुक्त-सह- अध्यक्ष चतरा/उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष ,
चतरा/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक,(गव्यविकास), राँची/ जिला कृषि पदाधिकारी,
चतरा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, चतरा/ /जिला गव्य विकास
पदाधिकारी, चतरा/वाएफ जोनल पदाधिकारी, हजारीबाग/ वाएफ जिला प्रभारी,
चतरा एवं संबंधित प्रगतिशील, दुग्ध उत्पादक प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया प्रेषित।


जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
चतरा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।


15/9/12
जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
चतरा।


16/9/12
उपायुक्त सह अध्यक्ष
चतरा।

ज्ञापांक 450 / चतरा, दिनांक 17/09/2012


प्रतिलिपि- उपायुक्त-सह- अध्यक्ष चतरा/उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष, चतरा/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक,(गव्यविकास), राँची/ जिला कृषि पदाधिकारी, चतरा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, चतरा/ /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, चतरा/वाएफ जोनल पदाधिकारी, हजारीबाग/ वाएफ जिला प्रभारी, चतरा एवं संबंधित प्रगतिशील, दुग्ध उत्पादक प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया प्रेषित।


17/9/2012
जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
चतरा।

ज्ञापांक 450 / चतरा, दिनांक 17/09/2012

प्रतिलिपि- निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड -राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया प्रेषित।


17/9/2012
जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
चतरा।

ज्ञापांक 450 चतरा, दिनांक 17/09/2012
प्रतिलिपि जिला गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड -राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया प्रेषित।
को ज्ञापांक 1129 जोनल दिनांक 3.9.12 के अनुपालन में
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया प्रेषित।

17/9/2012
जिला गव्य विकास पदाधिकारी
चतरा